बिहार सरकार

स्वास्थ्य विभाग

अधिसूचना

पटना–15, दिनांक – 2026

संचिका संख्या :15/खा०–04–01/2025–........................./स्वा०, गृह मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली से प्राप्त निदेश के आलोक में राज्यान्तर्गत खाद्य संरक्षा अधिकारियों की कमी को ध्यान में रखते हुए खाद्य संरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा–37(2) में राज्य सरकार को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए स्वास्थ्य विभाग के अधीन जिला स्तर पर कार्यरत कुल–17(सत्रह) पदाधिकारियों/चिकित्सकों/कर्मियों, जिनके पास खाद्य संरक्षा अधिकारी के पद पर कार्य करने हेतु वांछित शैक्षणिक योग्यता उपलब्ध है, को खाद्य संरक्षा अधिकारी के रूप में कार्य करने हेतु चयन करने का निर्णय राज्य सरकार द्वारा लिया गया। तदालोक में विभाग स्तर से सक्षम प्राधिकार के अनुमोदनोपरांत चयनित अभ्यर्थियों द्वारा भारतीय खाद्य संरक्षा एवं मानक प्राधिकरण, नई दिल्ली एवं राज्य सरकार के संयुक्त तत्वाधान में खाद्य संरक्षा एवं मानक नियम, 2011 के उप नियम–2.1.3(1) की कंडिका–(iii) में निर्दिष्ट प्रशिक्षण में सफलतापूर्वक भाग लिया गया है।

2. उक्त प्रशिक्षण के सफलतापूर्वक समापन के पश्चात् नव चयनित कुल–17(सत्रह) खाद्य संरक्षा अधिकारियों को उनके नाम के समक्ष अंकित स्तम्भ–4 के जिला में खाद्य संरक्षा अधिकारी के रिक्त पद के विरूद्ध प्रतिनियुक्ति तथा स्तम्भ–5 के जिलों में अतिरिक्त प्रभार के आधार पर अगले आदेश तक निम्नवत् पदस्थापित/प्रतिनियुक्त किया जाता है :–

क्रम संख्या	पदाधिकारी/चिकित्सक/कर्मी का नाम, मूल पद एवं वर्त्तमान पदस्थापन स्थल	गृह जिला	नव पदस्थापन स्थल/प्रतिनियुक्ति स्थल	अतिरिक्त प्रभार वाला कार्यक्षेत्र/जिला
1	2	3	4	5
1.	श्री ज्ञान प्रकाश स्वच्छता निरीक्षक, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, बेगूसराय	पटना	खाद्य संरक्षा अधिकारी, शेखपुरा जिलान्तर्गत सभी अनुमंडल	जमुई जिलान्तर्गत सभी अनुमंडल
2.	श्री राकेश कुमार स्वच्छता निरीक्षक, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, हलसी लखीसराय	नालंदा	खाद्य संरक्षा अधिकारी, लखीसराय जिलान्तर्गत सभी अनुमंडल	खगडिया जिलान्तर्गत सभी अनुमंडल

3.	डॉ० प्रवेन्द्र कुमार होमियोपैथिक चिकित्सा पदाधिकारी अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, सकरौल, बिहारशरीफ, नालंदा	पटना	खाद्य संरक्षा अधिकारी, नालंदा जिलान्तर्गत सभी अनुमंडल	नवादा जिलान्तर्गत सभी अनुमंडल
4.	श्री रामा स्वामी वेंकट रमण शर्मा वेक्टर रोग नियंत्रण पदाधिकारी जिला मलेरिया कार्यालय, समस्तीपुर	बेगूसराय	खाद्य संरक्षा अधिकारी, समस्तीपुर जिलान्तर्गत सभी अनुमंडल	दरभगा एवं मधुबनी जिलान्तर्गत सभी अनुमंडल
5.	श्री संजीव कुमार स्वच्छता निरीक्षक प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, टेकारी, गया	अरवल	खाद्य संरक्षा अधिकारी, गया जिलान्तर्गत सभी अनुमंडल	
6.	श्री सुमन प्रकाश प्रखण्ड प्रसार पदाधिकारी प्राथमिक ग्वास्थ्य केन्द्र, परैया, गया	औरंगाबाद	खाद्य संरक्षा अधिकारी, अरवल जिलान्तर्गत सभी अनुमंडल	
7.	श्री राजहंस कुमार राजहंस स्वच्छता निरीक्षक प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, सुलतानगंज, भागलपुर	खगडिया	खाद्य संरक्षा अधिकारी, भागलपुर जिलान्तर्गत सभी अनुमंडल	बॉका एवं कटिहार जिलान्तर्गत सभी अनुमंडल
8.	श्री हरे राम यादव स्वच्छता निरीक्षक प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, वैशाली	समस्तीपुर	खाद्य संरक्षा अधिकारी, वैशाली जिलान्तर्गत सभी अनुमंडल	प0 चम्पारण जिलान्तर्गत सभी अनुमंडल
9.	डॉ० विनोद कुमार सिंह आयुर्वेदिक चिकित्सा पदाधिकारी सदर अस्पताल, तेघडा, बेगूसराय	समस्तीपुर	खाद्य संरक्षा अधिकारी, मुजफ्फरपुर जिलान्तर्गत सभी अनुमंडल	सीतामढी एवं शिवहर जिलान्तर्गत सभी अनुमंडल
10.	डॉ० संजय चौधरी आयुष फिजिशियन, हेमियोपैथिक चिकित्सा पदाधिकारी अनुमंडलीय अस्पताल, तेघडा, बेगूसराय	नालंदा	खाद्य संरक्षा अधिकारी, बेगुसराय जिलान्तर्गत सभी अनुमंडल	सहरसा एवं सुपौल जिलान्तर्गत सभी अनुमंडल

11.	श्री धमेन्द्र कुमार स्वच्छता निरीक्षक ए० एन० एम० स्कूल, छपरा, सारण	पटना	खाद्य संरक्षा अधिकारी, छपरा जिलान्तर्गत सभी अनुमंडल	पूर्वी चम्पारण जिलान्तर्गत सभी अनुमंडल
12.	डॉ० सुदीन कुमार सुमन हेमियोपैथिक चिकित्सा पदाधिकारी प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, संपतचक, पटना	समस्तीपुर	खाद्य संरक्षा अधिकारी, पटना जिलान्तर्गत सभी अनुमंडल	
13.	मो० अली गौहर स्वच्छता निरीक्षक प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, खगडिया	सहरसा	खाद्य संरक्षा अधिकारी, मुंगेर जिलान्तर्गत सभी अनुमंडल	पूर्णियॉ एवं मधेपुरा जिलान्तर्गत सभी अनुमंडल
14.	डॉ० अंकुर कुमार श्रीवास्तव हेमियोपैथिक चिकित्सा पदाधिकारी सदर अस्पताल, सिवान	गोरखपुर, उत्तर प्रदेश	खाद्य संरक्षा अधिकारी, सिवान जिलान्तर्गत सभी अनुमंडल	गोपालगंज जिलान्तर्गत सभी अनुमंडल
15.	श्रीमती आभा रानी स्वच्छता निरीक्षक प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, काको, जहानाबाद	पटना	खाद्य संरक्षा अधिकारी, जहानाबाद जिलान्तर्गत सभी अनुमंडल	औरंगाबाद जिलान्तर्गत सभी अनुमंडल
16.	श्री रौशन कुमार सिंह, वेक्टर रोग नियंत्रण पदाधिकारी, रोहतास, सासाराम	भोजपुर	खाद्य संरक्षा अधिकारी, रोहतास जिलान्तर्गत सभी अनुमंडल	कैमूर जिलान्तर्गत सभी अनुमंडल
17.	श्री जय प्रकाश गौतम, वेक्टर रोग नियंत्रण पदाधिकारी, रोहतास, सासाराम	कैमूर	खाद्य संरक्षा अधिकारी, बक्सर जिलान्तर्गत सभी अनुमंडल	भोजपुर जिलान्तर्गत सभी अनुमंडल

3. खाद्य संरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा–37(2) के अधीन राज्य सरकार को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त सभी 17 (सत्रह) नव चयनित खाद्य संरक्षा अधिकारियों को उनके नाम के सामने स्तम्भ–4 में अंकित पदस्थापन क्षेत्र एवं स्तम्भ–5 में अंकित अतिरिक्त प्रभार वाले कार्यक्षेत्र/जिला के अन्तर्गत खाद्य संरक्षा अधिकारी के पदीय कर्त्तव्यों के निर्वहन हेतु

प्राधिकृत किया जाता है। उक्त सभी खाद्य संरक्षा अधिकारियों को संपूर्ण बिहार राज्य क्षेत्र के अधीन/आवंटित कार्य क्षेत्र में खाद्य संरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा–38 तथा खाद्य संरक्षा एवं मानक नियमावली, 2011 (समय–समय पर यथा संशोधित) के नियम–2.1.3 के उप नियम–4 के तहत् प्रदत्त शक्तियों/कर्त्तव्यों के निर्वहन हेतु अधिसूचित किया जाता है।

4. उक्त नव पदस्थापित/प्रतिनियुक्त सभी खाद्य संरक्षा अधिकारियों को निदेशित है कि अधिसूचित कार्य स्थल पर योगदान समर्पित करने के पूर्व वे इस आशय का शपथ–पत्र विभाग में समर्पित करना सुनिश्चित करेंगे कि उनका किसी भी खाद्य पदार्थ के निर्माण, आयात या बिक्री में कोई वित्तीय हित शामिल नहीं है।

5. उक्त सभी खाद्य संरक्षा अधिकारियों को अपने आवंटित कार्यक्षेत्र के अधीन खाद्य संरक्षा एवं मानक (खाद्य कारबार का अनुज्ञापन और रजिस्ट्रीकरण) विनियम, 2011 (समय–समय पर यथा संशोधित) के अध्याय–1 के उप नियम–1.2.1(5) के तहत् पंजीकरण प्राधिकारी (Registering Authority) के रूप में भी अधिसूचित किया जाता है।

6. उक्त सभी पदाधिकारियों/चिकित्सकों/कर्मियों के वेतनादि का भुगतान संबंधित जिला के अभिहित अधिकारी द्वारा निर्गत अनुपस्थिति विवरणी के आधार पर उनके मूलपदस्थापन जिला के असैनिक शल्य चिकित्सक –सह– मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी द्वारा किया जायेगा।

7. उक्त सभी खाद्य संरक्षा अधिकारी, खाद्य संरक्षा आयुक्त, बिहार, पटना के समग्र प्रशासनिक नियंत्रणाधीन कार्य करेंगे। क्षेत्र पदस्थापन के दौरान उक्त सभी पदाधिकारी, संबंधित जिला के अभिहित अधिकारी के नियंत्रणाधीन कार्य करेंगे।

8. उक्त सभी अधिकारी द्वारा सिर्फ खाद्य संरक्षा अधिकारी के दायित्वों एवं कृत्यों का निर्वहन किया जायेगा।

9. आकस्मिक अवकाश/प्रतिबंधित अवकाश/विशेषावकाश की स्वीकृति संबंधित जिला के असैनिक शल्य चिकित्सक–सह–मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी के द्वारा किया जा सकेगा। इसके अतिरिक्त अन्य सभी प्रकार के अवकाश की स्वीकृति बिहार कार्यपालिका नियमावली के प्रावधानानुसार विभाग स्तर से सक्षम प्राधिकार के अनुमोदन से किया जा सकेगा।

10. उक्त पदस्थापन/प्रतिनियुक्ति के आलोक में अधिसूचित खाद्य संरक्षा अधिकारियों द्वारा कार्य–भार लिये जाने के उपरांत संबंधित जिला/अनुमंडल के अधीन पूर्व से कार्यरत खाद्य संरक्षा अधिकारी अपने खाद्य संरक्षा अधिकारी के पदीय दायित्वों से स्वतः मुक्त समझे जायेंगे। इसके अतिरिक्त जिन जिलों में खाद्य संरक्षा अधिकारी की प्रतिनियुक्ति/पदस्थापन नहीं किया गया है, उन क्षेत्र के अधीन पूर्व से कार्यरत खाद्य सरक्षा अधिकारी अपने आवंटित कार्यों के अतिरिक्त पूर्व की भाँति खाद्य संरक्षा अधिकारी के पदीय दायित्वों का निर्वहन अगले आदेश तक करते रहेंगे।

11. राज्यहित एवं जनस्वास्थ्य के हितों को ध्यान में रखते हुए उक्त पदस्थापन/प्रतिनियुक्ति पूर्णतः अस्थायी/वैकल्पिक व्यवस्था के तहत् किया गया है। भविष्य मे खाद्य संरक्षा अधिकारी के मूल पद पर स्थायी नियुक्ति हो जाने के उपरांत उक्त अधिसूचना स्वतः रद्द समझा जायेगा तथा संबंधित पदाधिकारी/चिकित्सक/कर्मी अपने मूल ण्द/पदस्थापन स्थल पर योगदान करने हेतु स्वतः विरमित समझे जायेंगे।

12. उपर्युक्त आदेश अधिसूचना निर्गत की तिथि से प्रभावी होगा।

13. पूर्व से निर्गत एतद् संबंधी आदेश इस हद तक संशोधित/उत्क्रमित समझा जायेगा।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

ह०/–

(कुमार रवि)
सचिव, स्वास्थ्य –सह– खाद्य संरक्षा आयुक्त,
बिहार, पटना।

ज्ञापांक :– .... **पटना/दिनांक –** **2026**

प्रतिलिपि : महालेखाकार (ले० एवं ह०), बिहार, पटना/प्रभारी पदाधिकारी, वित्त (वै०दा०नि०को०) विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

ह०/–
सचिव, स्वास्थ्य –सह– खाद्य संरक्षा आयुक्त,
बिहार, पटना।

ज्ञापांक :– .... **पटना/दिनांक –** **2026**

प्रतिलिपि : गृह सचिव, गृह मंत्रालय, भारत सरकार को सूचनार्थ प्रेषित।

ह०/–
सचिव, स्वास्थ्य –सह– खाद्य संरक्षा आयुक्त,
बिहार, पटना।

ज्ञापांक :– .... **पटना/दिनांक –** **2026**

प्रतिलिपि : प्रभारी पदाधिकारी, ई–गजट कोषांग, वित्त विभाग को सूचनार्थ एवं अनुरोध है कि इसे बिहार राजपत्र के आगामी असाधारण अंक में प्रकाशित कराते हुए इसकी 50 प्रतियॉ, खाद्य संरक्षा आयुक्त कार्यालय, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को उपलब्ध कराने की कृपा की जाय।

ह०/–
सचिव, स्वास्थ्य –सह– खाद्य संरक्षा आयुक्त,
बिहार, पटना।

ज्ञापांक :– .... **पटना/दिनांक –** **2026**

प्रतिलिपि : माननीय मुख्यमंत्री, बिहार, पटना के प्रधान सचिव/सचिव/माननीय मंत्री, स्वास्थ्य के आप्त सचिव/मुख्य सचिव, बिहार, पटना/मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, भारतीय खाद्य संरक्षा एवं मानक प्राधिकरण, एफ०डी०ए० भवन, कोटला रोड, नई दिल्ली/अपर मुख्य सचिव, गृह विभाग को सूचनार्थ प्रेषित।

ह०/–
सचिव, स्वास्थ्य –सह– खाद्य संरक्षा आयुक्त,
बिहार, पटना।

ज्ञापांक :– ....   **पटना / दिनांक –** **2026**

प्रतिलिपि : सभी प्रमंडलीय आयुक्त, बिहार / सभी जिला पदाधिकारी, बिहार / सभी वरीय पुलिस अधीक्षक / पुलिस अधीक्षक, बिहार / सचिव, स्वास्थ्य –सह– खाद्य संरक्षा आयुक्त, बिहार, पटना के प्रधान आप्त सचिव / कोषांग / श्री अरविन्द कुमार वर्मा, विशेष सचिव, स्वास्थ्य विभाग के निजी सहायक / श्री धनंजय कुमार, अपर सचिव, स्वास्थ्य विभाग / श्री सुरेन्द्र राय, विशेष कार्य पदाधिकारी –सह– राज्य नोडल पदाधिकारी, खाद्य संरक्षा, बिहार, पटना / सभी निदेशक प्रमुख, स्वास्थ्य सेवाएँ / सभी संबंधित विभागीय पदाधिकारी / सभी अपर समाहर्त्ता –सह– न्याय निर्णायक पदाधिकारी, बिहार / सभी असैनिक शल्य चिकित्सक –सह– मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, बिहार / सभी कोषागार पदाधिकारी, बिहार / प्रभारी पदाधिकारी, संयुक्त खाद्य एवं औषधि प्रयोगशाला, अगमकुऑं, पटना / सभी खाद्य विश्लेषक, बिहार / सभी अभिहित अधिकारी, बिहार / सभी सहायक अभिहित अधिकारी, बिहार / सभी खाद्य संरक्षा अधिकारी, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

ह० / –

सचिव, स्वास्थ्य –सह– खाद्य संरक्षा आयुक्त,
बिहार, पटना।

ज्ञापांक :– 247 (15 बी)   **पटना / दिनांक –** 14-07- **2026**

प्रतिलिपि : आई०टी० मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग को सूचनार्थ एवं विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

14/7/26

सचिव, स्वास्थ्य –सह– खाद्य संरक्षा आयुक्त,
बिहार, पटना।